

कार्यालय:- अंचल अधिकारी, सिमरिया।

विविध वाद सं०-03/2022-23

भुनेश्वर महतो, पिता-स्व० टेका महतो, मौजा-डाडी ।

बनाम

विनोद महतो वगैरह, पिता-कोल्हा महतो मौजा-डाडी ।

-:आदेश:-

क्रम और	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
	2	3
	<p>प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक भुनेश्वर महतो, पिता-स्व० टेका महतो, मौजा-डाडी से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रारम्भ की गई है। आवेदक ने सिमरिया अंचल अन्तर्गत मौजा-डाडी के खाता सं०-89 प्लॉट सं०-819,820 एवं 821 वगै० (यथा आवेदन में वर्णित) कुल रकबा-6.77 ए० भूमि की जमाबन्दी लालजी महतो वगै० के नाम से सम्मिलात जमाबन्दी कायम है। आवेदन के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>मामले की अग्रेतर कार्यवाही एवं दोनों पक्षों को अपना दावा प्रमाणित करने हेतु नोटिस निर्गत की गई। तदनुसार उभय पक्ष उपस्थित हुए।</p> <p>प्रथम पक्ष आवेदक की ओर से लालजी महतो वो लटन महतो पिता-सीटा महतो वो मिठु महतो पिता- बैजु महतो के नाम से दर्ज सर्वे खतियान की छायाप्रति एवं लगान रसीद के आधार पर अपना दावा पेश किया गया है। प्रथम पक्ष की ओर से स्वयं भुनेश्वर महतो उपस्थित होकर बतलाये की सर्वे खतियान में लालजी महतो वो लटन महतो पिता- सीटा महतो तीन हिस्सा बराबर एवं मिठु महतो एक हिस्सा दर्ज है। उक्त खतियान के आधार पर हक-हिस्सा खतियानी रैयतों के सभी वंशजों को होता है, परंतु लालजी महतो के वंशजों द्वारा मूल सर्वे खतियान में छेड़-छाड़ कर मिठु महतो पिता- बैजु महतो का मेरे खतियानी पूर्वज का नाम हटा दिया गया है, एवं एक हिस्सा रकबा-1.10.5 ए० भूमि से बेदखल करना चाहते हैं।</p> <p>द्वितीय पक्ष की ओर प्रतिपक्षी विनोद महतो द्वारा भी लालजी महतो वो लटन महतो पिता-सीटा महतो तीन हिस्सा बराबर से संबंधित सर्वे खतियान की छायाप्रति एवं लगान रसीद दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से विनोद महतो उपस्थित होकर बताये की सर्वे खतियान में लालजी महतो वो लटन महतो पिता- सीटा महतो तीन हिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त खतियान के आधार पर हमलोगों का दखल कब्जा है।</p>	

कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार ग्राम-डाड़ी थाना सं०-152 के अन्तर्गत खाता सं०-89, प्लॉट सं०-819,820 एवं 821 वगैरह रकवा-6.64 ए० भूमि रैयती खाते की है। अपीलान्त के दादा लालजी महतो वॉ लटन महतो पेशरान सीटा महतो तीन हिस्सा बराबर एवं मितू महतो एक हिस्सा दर्ज है।

प्रथम पक्ष भुनेश्वर महतो पिता-टेका महतो के दादा मितू महतो के नाम से खाता सं० 89, प्लॉट सं०-820 रकवा-0.16, प्लॉट सं०-821 रकवा-0.03 ए०, प्लॉट सं०-826 रकवा-0.03 ए०, प्लॉट सं०-819 रकवा-0.05 ए०, प्लॉट सं०-449 रकवा-0.08 ए०, प्लॉट सं०-1629 रकवा-0.26 ए०, प्लॉट सं०-1965 रकवा-0.12 ए०, प्लॉट सं०-1485 रकवा-0.12 एवं प्लॉट सं०-1617 रकवा-0.25 ए० कुल रकवा-1.10 ए० भूमि बकब्जे मीतू महतो हिस्सा होता है जबकि पंजी II के पृष्ठ सं० 172/6 पर 1.44.5 ए० भूमि की जमाबंदी कायम है। खाता सं०-89 के प्लॉट सं०-90 रकवा-0.82 ए० शेष इजमाल की भूमि से बँटवारानामा के अनुसार रकवा-0.58.5 ए० भूमि दिया गया है।

द्वितीय पक्षों को खाता-89 प्लॉट नं०-282 रकवा-0.26 ए०, प्लॉट सं०-1691 रकवा-अस्पष्ट है, प्लॉट सं०-1717 रकवा-0.32, प्लॉट सं०-1889 रकवा-0.21 ए०, प्लॉट सं०-1964 रकवा-0.61 ए०, प्लॉट सं०-824 रकवा-0.09 ए० बकब्जे लटन महतो, प्लॉट सं०-825 रकवा-0.09 बकब्जे लालजी महतो, प्लॉट सं०-1104 रकवा-0.04 ए० बकब्जे लालजी महतो, प्लॉट नं०-1108 रकवा-0.25 बकब्जे लालजी महतो, प्लॉट सं०-1110 रकवा-0.26 ए० बकब्जे लालजी महतो, प्लॉट सं०-1293 रकवा-0.11 ए० बकब्जे लालजी महतो, प्लॉट-1346 रकवा-0.06 ए० बकब्जे लालजी महतो, प्लॉट सं०-1486 रकवा-0.06 बकब्जे लालजी महतो, प्लॉट सं०-1618 रकवा-0.26 ए०, प्लॉट-1626 रकवा-0.08 प्लॉट सं०-1628 रकवा-0.26 ए० बकब्जे लालजी महतो वॉ लटन महतो, प्लॉट सं०-448 रकवा-0.18 ए०, प्लॉट सं०-451 रकवा-0.14 ए०, प्लॉट सं०-681 रकवा-0.19, प्लॉट सं०-823 रकवा-0.02 ए० बकब्जे लालजी महतो, प्लॉट सं०-822 रकवा-0.03 ए० बकब्जे लटन महतो, प्लॉट सं०-1069 रकवा-0.13 बकब्जे लालजी महतो, प्लॉट सं०-112 रकवा-1.08 ए० एवं इजमाल के प्लॉट सं०-90 रकवा-0.23.5 कुल रकवा- 5.05.5 ए० भूमि सम्मिलात तीन हिस्सा बराबर में आता है।

दोनों पक्षों द्वारा समर्पित खतियान को सत्यापन हेतु इस कार्यालय पत्रांक-232 दिनांक-16.04.2023 एवं पत्रांक-59 दिनांक-01.02.2024 के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी जिला अभिलेखागार चतरा से सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रभारी पदाधिकारी जिला अभिलेखागार चतरा के पत्रांक-200/अभि० दिनांक-07.11.2023 द्वारा प्रतिवेदित

किया गया है कि वांछित खतियान खोज बीन करने पर कार्यालय में नहीं पाया गया।


दोनों पक्षों द्वारा समर्पित दोनों सर्वे खतियान का अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि समर्पित मूल खतियान में लालजी महतो वो लटन महतो पिता— सीटा महतो मौजा—डाडी तीन हिस्सा बराबर एवं मीतु महतो पिता— बैजु महतो एक हिस्सा दर्ज है, परन्तु द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा एक फर्जी खतियान तैयार कर मीतु महतो के नाम दर्ज खतियान से हटा दिया गया है।

प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं उल्लेखित बिन्दुओं का विस्तृत अवलोकन तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट होता है, कि द्वितीय पक्षों के लोगों द्वारा एक मूल खतियान के अलावे एक फर्जी खतियान बनाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं मूल खतियान में अंकित बकब्जे प्लॉट के आधार पर मौजा—डाडी थाना सं०—152 के अन्तर्गत खाता सं०—89 प्लॉट सं०—449, 819, 1629, 1665, 826, 1485, 1617, 820, 821 एवं प्लॉट सं०—90 कुल रकबा—1.44.5 ए० भूमि का पंजी II के पृष्ठ सं० 172/6 पर मिटु महतो के नाम से कायम जमाबंदी को यथावत रखा जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है, असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी
सिमरिया।


अंचल अधिकारी
सिमरिया।